न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा (टोक)
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 14/2020
निर्णय दिनांकः— 12.02.2021

उनवान

आबिद अली पुत्र हामिद अली जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तहसील उनियारा जिला टोंक —प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0) — प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— 1. श्री बाबू लाल जैन वकील प्रार्थी
2.पेरोकार सरकार

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 299 ख0न0 1064/1212,1079,1080,1081,1082,1083,1088,1089,1090 व 1159 कुल किता 10 कुल रकबा 3.63 है0 वाके ग्राम बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है।

प्रार्थी का सही एवं वास्तविक आबिद अली पुत्र हामिद अली है जो कि अन्य जमाबन्दी खाता संख्या 244 ग्राम बामनिया सम्वत 2075 — 2078 से प्रमाणित है तथा प्रार्थी के आधार कार्ड फोटो पहचान पत्र की प्रति , राशन कार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र इत्यादि में अंकित है। जिसमें प्रार्थी का नाम आबिद अली पुत्र हामिद अली अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम सहवन से आबिद अली पुत्र हामिद अली के स्थान पर आबिल अली पुत्र हामिद अली अंकित कर दिया गया है, जबकि सही नाम आबिद अली पुत्र हामिद अली है ।

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम आबिद अली पुत्र हामिद अली के स्थान पर सहवन से आबिल अली पुत्र हामिद अली दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने,कृषि अनुदान प्राप्त करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 299 ख0न0 1064/1212,1079,1080,1081,1082,1083,1088,1089,1090 व 1159 कुल किता 10 कुल रकबा 3.63 है0 वाके ग्राम बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक में प्रार्थी का नाम आबिल अली पुत्र हामिद अली के स्थान पर आबिद अली पुत्र हामिद अली अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
उनियारा

प्रतिपक्षी पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के ग्राम बामनिया के खाता संख्या 299 ख0न0 1064/1212,1079,1080,1081,1082,1083,1088,1089,1090 व 1159 कुल किता 10 कुल रकबा 3.63 है0 वाके ग्राम बामनिया सम्वत 2075 – 2078 में प्रार्थी का नाम आबिद अली पुत्र हामिद जाति मुसलमान दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान व जाँच से आबिद अली पुत्र हामिद व आबिद अली पुत्र हामिद एक ही व्यक्ति है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 299 ख0न0 1064/1212,1079,1080,1081,1082,1083,1088,1089,1090 व 1159 कुल किता 10 कुल रकबा 3.63 है0 वाके ग्राम बामनिया तहसील उनियारा में प्रार्थी का नाम आबिद अली पुत्र हामिद अली जाति मुसलमान साकिन बामनिया खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड,भामाशाह कार्ड,परिवार राशनकार्ड में प्रार्थी का नाम आबिद अली पुत्र हामिद अली व छाया प्रति मतदाता फोटो पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम आबिद अली पुत्र हामिद अली दर्ज है। तहसीलदार उनियारा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी ग्राम बामनिया के खाता सं0 299 में प्रार्थी का नाम आबिल अली पुत्र हामिद अली के स्थान पर आबिद अली पुत्र हामिद अली किये जाने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह संयुक्त खाता संख्या 299 वाके ग्राम बामनिया तहसील उनियारा जिला टोंक में दर्ज आबिल अली पुत्र हामिद अली के स्थान पर आबिद अली पुत्र हामिद अली दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। अगर इससे किसी वित्तिय या अन्य किसी संस्था व व्यक्ति का कोई हित प्रभावित होता है तो सम्बन्धित संस्था व व्यक्ति को प्रार्थी स्वयं सूचित करेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा